संख्याः 442 /28–1–2001

प्रेषक,

राजू शर्मा,
सचिव,राज्य परामर्शीय सामात
एवं सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग,
उत्तर प्रदेश,शासन ।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश,शासन ।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

उत्तरांचल समन्वय अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 10 मई,2001

विषयः– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत राज्य सेवाओं के कार्मिकों का उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अन्तिम आबंटन ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा–76 के अन्तर्गत राज्य परामर्शीय समिति का गठन दोनों राज्यों के मध्य पदों के विभाजन तथा कार्मिकों के अन्तिम आबंटन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है । इस समिति की प्रथम बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 2001 को सम्पन्न हुई । इस बैठक में पदों के आबंटन एवं कार्मिकों के अन्तिम आबंटन हेतु सिद्धान्तों, प्रकिया एवं व्यवस्था को अन्तिम रूप प्रदान किया गया । समिति की उक्त बैठक का कार्यवृत्त अलग से सभी विभागों को प्रेपित किया गया है ।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में कार्मिकों के आबंटन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञांप संख्या– 1134/का–1/13(12)/2000, दिनांक 06–11–2000 के अधीन सम्पादित की जा रही है ।

राज्य परामर्शीय समिति द्वारा अन्तिम किये गये सिद्धान्तों के अनुरूप तात्कालिक प्रभाव से दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य पदों एवं कार्मिकों के अन्तिम आबंटन हेतु निम्न व्यवस्था एवं प्रकिया स्थापित की गयी है जिसका अनुपालन सभी विभागों द्वारा निश्चित समय–सारणी में किया जाएगा ।

1. <u>उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य पदों का विभाजन</u>

यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में दिनांक 08–11–2000 को उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में सृजित सभी पदों का आबंटन उत्तरांचल राज्य को किया जाता है । उत्तरांचल शासन इनमें से रिक्त पदों को भरने अथवा न भरने तथा संवर्गों एवं कार्यालयों की पुर्नसंरचना करने हेतु स्वतंत्र होगा । तद्नुसार उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न संवर्गों से उत्तरांचल राज्य के 13 जनपदों में सृजित पदों को समाप्त किया जाता है ।

तद्नुसार सभी उत्तर प्रदेश शासन के विभाग सभी संवर्गों में उक्त पदों को समाप्त करते हुए संवर्ग में पदों की संख्या पुर्ननिर्धारित करते हुए औपचारिक आदेश शीघ्रातिशीघ्र जारी करें ।

द्वितीय चरण में उत्तरांचल राज्य को पदों का आबंटन उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी विशिष्ट मांग एवं आवश्यकता के आधार पर किया जा सकेगा । इस हेतु उत्तरांचल राज्य यथा समय समिति के समक्ष एजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत करेगा ।

2. <u>राज्य सेवा संवर्ग से नीचे के संवर्गों के कार्मिकों का अन्तिम आबंटन</u>

निम्न राज्य सेवा संवर्ग से नीचे के संवर्गों के समस्त कार्मिकों का अन्तिम आबंटन उत्तरांचल राज्य को करने का निर्णय लिया गया :–

(i) ऐसे जिला स्तरीय संवर्ग के कार्मिक, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरांचल राज्य में पड़ने वाले 13 जनपदों के कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं अथवा जिनकी सेवायें सामान्य रूप से जिले के भीतर स्थानान्तरणीय होती हैं ।

(ii) ऐसे मण्डल स्तरीय संवर्गों के कार्मिक, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी गढवाल अथवा कुमाऊँ मण्डल के कोई भी मण्डल स्तरीय अधिकारी हैं अथवा जिनकी सेवायें सामान्यतः उक्त मण्डल क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानान्तरणीय होती हैं ।

(iii). अविभाजित उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सृजित पर्वतीय उपसंवर्ग में शामिल सभी कार्मिक अथवा वे कार्मिक जिनकी सेवायें सामान्यतः उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थानान्तरणीय हैं ।

(iv) वे सभी कार्मिक, जिनकी नियुक्ति एवं तैनाती विशिष्ट रूप से ऐसे प्रोजेक्ट अथवा योजना में की गयी है जिनका कार्य क्षेत्र एवं कार्य प्रकार पूर्ण रूप से उत्तरांचल राज्य से संबंधित है तथा जिनकी सेवायें सामान्यतः उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरणीय नहीं है तथा जो किसी संगठित राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिक नहीं हैं ।

समिति द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों द्वारा उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में आबंटन हेतु प्रस्तुत सभी विकल्प पत्रों को अन्तिम रूप से निरस्त किया गया है । तद्नुसार पर्वतीय उपसंवर्ग में शामिल प्रत्येक कार्मिक का अन्तिम आबंटन उत्तरांचल राज्य हेतु किया गया है ।

तद्नुसार प्रत्येक विभाग पर्वतीय उपसंवर्ग में शामिल ऐसे सभी कार्मिकों को उत्तरांचल राज्य हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दें, जो इस समय सम्बद्धता अथवा स्थानान्तरण के आधार पर उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत हैं ।

समिति के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप –7भा0स0/का–1–2000/13/7/2000, दिनांक 18 अक्टूबर ,2000, जो पर्वतीय उपसंवर्ग में शामिल कार्मिकों से विकल्प प्राप्त करने के संबंध में है, को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

कतिपय विभागों में मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिकाओं में प्रदत्त अंतरिम आदेशों के कम में पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन निस्तारण प्रस्तुत किये गये हैं । इस प्रकार के प्रत्यावेदनों में विभागों द्वारा उपर्युक्त निर्णय के कम में कार्यवाही करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ।

3. <u>राज्य सेवा संवर्गो के कार्मिकों का आवंटन</u>

राज्य सेवा सवंर्ग का तात्पर्य ऐसे संवर्ग से है जिसमें कार्मिक के नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश शासन अथवा अविभाजित उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष है तथा जिनकी सेवायें सम्पूर्ण अविभाजित उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरणीय हैं तथा जिनकी संयुक्त वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर निर्धारित की जाती है ।

राज्य सेवा संवर्गो के कार्मिकों का उत्तरांचल राज्य हेतु अन्तिम आबंटन विकल्प के आधार पर किया जायेगा । विकल्प के आधार पर आबंटन उस संख्या तक सीमित

होगा जितनी संख्या में पद उत्तरांचल राज्य में उपलब्ध अथवा रिक्त हैं अथवा जितनी संख्या में उत्तरांचल राज्य द्वारा आवश्यकता प्रस्तुत की जाती है ।

तद्नुसार सभी विभाग, कार्यालय ज्ञाप संख्या–166/28–1–2000, दिनांक 14 मार्च, 2001 द्वारा निर्धारित रूपपत्र पी–1,पी–2 तथा पी–3 पर अपनी सूचनायें सदस्य सचिव, राज्य परामर्शीय समिति/सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग को प्रत्येक दशा में दिनांक 30 मई, 2001 तक उपलब्ध करायेंगे । निर्धारित रूप पत्र पी–3 वह रूपपत्र है जिसमें विकल्प के आधार पर आबंटित किये गये अथवा विकल्प के आधार पर आबंटित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्मिकों की सूची होगी । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पी–3 की सूची मे पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों का नाम शामिल नहीं होगा क्योंकि उनका आबंटन सामान्य आदेश द्वारा पृथक से पैरा–2 के निर्णय द्वारा उतरांचल राज्य को कर दिया गया है।

उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प देने वाले कार्मिकों के उत्तरांचल राज्य को अन्तिम आबंटन के पश्चात् शेष बचे कार्मिकों का अन्तिम आबंटन उत्तर प्रदेश राज्य को किया जायेगा ।

उत्तरांचल राज्य में शेष रिक्तियों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति अथवा उसके समकक्ष व्यवस्था के माध्यम से की जायेगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथमतः ऐसे कार्मिकों की सेवायें उत्तरांचल राज्य को उपलब्ध करायी जायेंगी जिनका गृह जनपद दिनांक 01–4–2000 की स्थिति के अनुसार उत्तरांचल राज्य में अवस्थित हैं । इसके पश्चात् शेष आवश्यकताओं की पूर्ति प्रश्नगत संवर्ग के प्रश्नगत वेतनमान के कार्मिकों द्वारा कनिष्ठता क्रम में सुनिश्चित की जायेगी ।

इस व्यवस्था का विशिष्ट प्रस्ताव दोनों राज्यों के कार्मिक सचिव द्वारा समित की आगामी बैठक में सहमति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा । दोनों राज्य के कार्मिक सचिवों द्वारा यह प्रस्ताव सदस्य सचिव, राज्य परामर्शीय समिति को दिनांक 30–5–2001 तक उपलब्ध कराया जायेगा ।

4. <u>प्रभावित कार्मिकों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया</u>

राज्य संवर्ग से नीचे के संवर्गों के संबंध में पैरा –2 के अनुसार सामान्य आदेश व इच्छुक विकल्पधारियों के संबंध में पैरा–3 के अन्तिम आबंटन के निर्णय के अनुसार रूपपत्र पी–3 की सूची उत्तरांचल राज्य के लिये अंतिम आबंटन की अंतरिम सूची होगी । दोनों राज्यों के सभी विभाग उपरोक्त निर्णयों से सभी प्रभावित कार्मिकों को सम्यक् रूप से तद्नुसार अवगत करा दें । प्रत्येक प्रभावित कार्मिक अन्तिम आबंटन के

संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है । प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

(i) प्रत्यावेदक जिस राज्य मे वर्तमान में कार्यरत है उस राज्य के विभागीय सचिव के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ii) प्रत्यावेदन अध्यक्ष, राज्य परामर्शीय समिति को सम्बोधित होगा तथा समिति का कार्यालय पता निम्न प्रकार है :– सदस्य सचिव, राज्य परामर्शीय समिति/सचिव, उत्तराचल समन्वय विभाग, विकास भवन, कक्ष संख्या–716, हजरत गंज, जनपथ मार्केट, सचिवालय, लखनऊ।

(iii) प्रत्यावेदन में समुचित आधार व तथ्य प्रत्यावेदक द्वारा अंकित किये जायेगें ।

(iv) प्रत्यावेदन को समिति को अग्रसारित करते हुए सम्बन्धित विभाग निम्न सूचनायें अवश्य उपलब्ध करायेगा :– कार्मिक का पदनाम, वेतनमान, श्रेणी, संवर्ग, पर्वतीय संवर्ग की स्थिति, गृह जनपद तथा जन्मतिथि/ सेवा निवृत्ति की तिथि आदि ।

(v) विभागों द्वारा प्रत्यावेदन समिति को अग्रसारित करते समय अभ्युक्ति एवं संस्तुति स्पष्ट रूप में अंकित की जायेगी ।

(vi) प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 जून, 2001 होगी ।

5. विभिन्न राज्य सेवा संवर्गो के कार्मिकों को उत्तरांचल सरकार से कार्यमुक्त किये जाने एवं उत्तर प्रदेश शासन से उत्तरांचल राज्य को आबंटित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का निर्धारण ।

पैरा–3 के अन्तर्गत विकल्पधारी कार्मिकों का उत्तरांचल को आबंटन अब संबंधित उत्तर प्रदेश के विभाग द्वारा सीधे नहीं किया जायेगा । आबंटन का प्रस्ताव पत्रावली पर पी–1,पी–2 एवं पी–3 की स्थिति सहित सदस्य सचिव, राज्य परामर्शीय समिति एवं सचिव, उत्तरांचल समन्वय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । तदोपरान्त पत्रावली पर पुनर्गठन आयुक्त उत्तरांचल शासन का मन्तव्य भी प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात ही सदस्य सचिव की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त विभाग द्वारा आबंटन के आदेश निर्गत किये जायेंगे । ऐसे विकल्पधारी आबंटियों की सूची रूपपत्र पी–3 पर समिति के समक्ष उसकी आगामी बैठक में अंतिम आबंटन हेतु प्रस्तुत की जायेगी ।

उत्तरांचल शासन द्वारा कतिपय विभागों में ऐसे कार्मिकों का उत्तर प्रदेश शासन हेतु कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव है जो राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिक हैं तथा जिन्होंने उत्तरांचल हेतु विकल्प नहीं दिया है, जो पर्वतीय उपसंवर्ग में शामिल नहीं है एवं वर्तमान में अधिनिमय की धारा–75 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में कार्यरत हैं तथा पैरा–3 के अधीन उनका आबंटन उत्तर प्रदेश शासन को किये जाने का निर्णय समिति

द्वारा लिया गया है । ऐसे कार्यमुक्ति प्रस्तावों के विवरण उत्तरांचल शासन के संबंधित विभाग द्वारा सदस्य सचिव, राज्य परामर्शीय समिति को पत्रावली पर उपलब्ध कराये जायेगें । सदस्य सचिव, राज्य परामर्शीय समिति एवं पुनर्गठन आयुक्त उत्तरांचल की सहमति के उपरान्त ही कार्यमुक्ति के आदेश निर्गत किये जा सकेंगे । ऐसे प्रकरणों में भी पत्रावली पर रूपपत्र पी–1,पी–2 व पी–3 पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी ।

6. अन्य बिन्दु

जिन कार्मिकों द्वारा अभी तक विकल्प प्रस्तुत नही किये गये है तथा जो विकल्प प्रस्तुत करना चाहते है वे अपने विकल्प सम्बन्धित विभागीय सचिव को दिनांक 15 जून 2001 तक प्रस्तुत कर सकते है। इन विकल्प पत्रों पर पूर्व के पैरा में वर्णित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यदि उत्तरांचल में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या विकल्पधारियों से कम है तो ऐसी दशा में विकल्पों में चयन निम्न प्रकिया के अनुसार किया जाये:–

यदि विकल्पधारियों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक है तो सर्वप्रथम उन कार्मिकों को वरीयता प्रदान की जाय जिनका गृह जनपद दिनांक 01–04–2000 को उत्तरांचल रांज्य में स्थित है। यदि उक्त के पश्चात पद शेष बचते है एवं उनके लिए अधिक संख्या में विकल्पधारी उपलब्ध है तो परस्पर वरिष्ठ कार्मिक को पहले विकल्प के आधार पर आबंटित किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर उत्तरांचल में तैनात किये गये कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदनों का निस्तारण समिति के निर्णय के कार्यवृत्त के पैरा–6.6(1) के अनुसार किया जायेगा। प्रत्यावेदनों के निस्तारण में गृह जनपद का निर्धारण दिनॉक 01–04–2000 की स्थिति के अनुसार किया जाये।

सामान्यतः विकल्प में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि विकल्प परिवर्तन के अनुरोध में किसी नये अथवा गम्भीर तथ्य का उल्लेख नही किया गया है तो उसे विभागीय स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाये। विकल्प परिवर्तन के अनुरोध में यदि नये अथवा गम्भीर तथ्य प्रस्तुत किये गये है तो इन्हें विभागीय संस्तुति सहित राज्य परामर्शीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के 17 कार्मिकों द्वारा यह प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरांचल हेतु उनके द्वारा दिया गया विकल्प निरस्त करते हुये उन्हें अब उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कर दिया जाये। समिति ने इन सभी प्रत्यावेदनों को निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के 164 कार्मिक, जिन्होने विकल्प के आधार पर उत्तरांचल हेतु आवंटन का अनुरोध किया था, का अन्तिम आवंटन उत्तरांचल राज्य को करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। अतः इन कार्मिकों को यदि वे अब तक उत्तरांचल हेतु कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं को तात्कातिक प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया जाये।

ये विन्दु प्रस्तुत हुआ है कि कतिपय विभागों में कार्मिकों के आबंटन को लेकर विशिष्ट प्रकिया की समस्यायें अथवा विवाद है जिनका निराकरण ऊपरलिखित सिद्वान्तों

...पेक्षा है कि वे स्वतः स्पष्ट एजेण्डा बिन्दु प्रश्नगत संवर्ग अथवा कार्मिक समूह के बन्ध में समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत करें। इस प्रकार के एजेण्डा बिन्दु में प्रश्नगत संवर्ग के सम्बन्ध में पी–1, पी–2 व पी–3 पर संवर्ग की स्थिति भी साथ ही संसूचित की जायेगी।

सभी विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि वे उपरोक्त समय सारणी के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजू शर्मा)
सदस्य सचिव,
राज्य परामर्शीय समिति/सचिव,
उत्तरांचल समन्वय विभाग

संख्या– 442 /(1)/28–1–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे उत्तरांचल राज्य के सभी विभागों एवं विभागाध्यक्षों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
(3) श्री पी.के. ब्रह्मा, अपर सचिव(पेंशन), भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लखनऊ ।
(5) सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
(6) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राजू शर्मा)
सदस्य सचिव,
राज्य परामर्शीय समिति/सचिव
उत्तरांचल समन्यवय विभाग